

**कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या— प्राविष/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ दिनांक: 15-3-2020

-कार्यालय शाय-

अधिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्यवाही अखिल इण्डिया नई दिल्ली द्वारा दैनिक संख 2020-21 हेतु विद्यार्थी स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थानों को अनुमोदन प्रदान किए जाने की दृष्टि से प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-3-2020 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ की अध्यक्षता में प्रविष्ट कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सभिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदिता नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से स्थापित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/प्राथमिक/प्रगत धर्मता वृद्धि कठित अन्य मंचों पर विचार करने हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त अनुमोदन से सम्बद्धता समिति की बैठक की मद्र-3 में दिखलमा इन कार्मसी माठयकम सम्बन्धित करने वाली पूर्व से सम्बद्धता संस्थाओं का प्रकल्प रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा माल विचार-विमर्श किया गया निम्नोक्त विधेय लिया गया -

- निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन कार्मसी माठयकम संघालित करने वाली संस्थाए, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीठरीठआईठ द्वारा उन्हें यथावत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीठरीठआईठ द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अधिकत माठयकम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर सभिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीठरीठआईठ द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार को अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 14-03-2020 को आयुक्त सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय को अनुक्रम में लिये गये प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु विचार-विमर्श करने का आदेश माठयकम एवं उसमें अधिल प्रदेश धर्मता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का नाम	पीठरीठआईठ द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदन प्रवेश क्षमता	पीठरीठआईठ /परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदन प्रवेश क्षमता
1	उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, 22 दिनी रोड, 22 दिनी रोड, मुन्नाबाद रोड, गिन्नापुर।	डिप्लोमा इन कार्मसी	10	10

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एठआईठआईठआईठ/पीठरीठआईठ द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमधाली 1982, असेस्टर विनियमधाली-2018 एवं अन्य निर्मित विधान एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क विधानधाली समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों की अवधि परावधधाली हेतु ₹30,150,00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों की अवधि परावधधाली हेतु ₹45,000,00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष की वर्षीय परावधधाली हेतु तीन वर्षों की अवधि परावधधाली हेतु ₹22,500,00 प्रतिवर्ष शुल्क की प्राथमिक धारा/धारा

(Signature)

में प्रकाश किये जायें। उपरोक्त की प्रतिक्रिया प्राप्त/प्राप्तकर्ता को शुल्क को समर्थन में समर्थ-समर्थ पर प्रकाश द्वारा निर्देश किये जाने का प्रावधान प्रणवी होवे और उपरोक्त कार्यवाही के लिए उन्हें अपने आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता दी जायेगी।

- ✓ समर्थ को (2020) प्राथमिक शिक्षा अधिनियम का अन्तर्गत, सम्बंधित की समर्थ किये जाने पर अधिनियम-2005 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ समर्थ में समर्थ प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित शर्तों को ही प्रवेश दिया जायगा। शर्तों की शर्तों का जाने की स्थिति में प्रवेश प्रवेश प्रवेश के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ समर्थ को समर्थ-समर्थ पर निर्देश सम्बंधित के अनुसार निर्देश एवं सम्बंधित शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ समर्थ को सम्बंधित अधिनियम/शर्तों के अन्तर्गत सत्र हेतु अनुदान प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ समर्थ प्रवेश प्रवेश प्रवेश द्वारा बनने वाले विधि/निर्देश/अधिनियम/शासनादेश/निर्देश एवं निर्देश, अधिनियम, कानून, समर्थ प्रवेश परीक्षा परिषद, समर्थ का प्राथमिक शिक्षा परिषद, समर्थ द्वारा बनने वाले निर्देश, अधिनियम, अधिनियम, निर्देश या शासन करने के लिए बाध्य होगी।
- ✓ विधायक एवं शर्तों का अनुपालन की संरचना यदि शर्तों के अन्तर्गत प्रवेश करने में आवश्यक होगी है तो इस समर्थ में समर्थ परिसर/शिक्षण समर्थ को होगा और विधि का तो किसी भी शर्तों की शर्तों में दिए समर्थ एवं उपरोक्त होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, समर्थ प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निर्देशक एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग प्रवेश प्रवेश को कोई भी शर्तों पर प्रवेश प्राप्त है तथा शर्तों का अन्तर्गत समर्थ, शासन द्वारा जारी प्रवेश की प्रतिक्रिया समर्थ अन्तर्गत निर्देश किये जायें हैं तो समर्थ अधिनियम/शर्तों के अन्तर्गत होगी।
- ✓ विधायक एवं शर्तों का अनुपालन सम्बंधित करने वाली शर्तों को समर्थ प्रवेश परीक्षा परिषद, प्रवेश प्रवेश सम्बंधित द्वारा शर्तों का शर्तों के लिए आवश्यक प्रवेश परीक्षा हेतु कार्यवाही प्रवेश होने के पूर्व शर्तों/शर्तों से अनुदान प्राप्त पर परिषद कार्यवाही को उपलब्ध कराया होगा अन्तर्गत प्रवेश की (अधिनियम के अन्तर्गत से अन्तर्गत शर्तों पर शर्तों प्रवेश) अनुधत्ती नहीं प्रवेश की जायेगी।
- ✓ प्रवेश परीक्षा प्रवेश प्रवेश द्वारा प्रवेश हेतु निर्देश निर्देशक अधिकाधिक निर्देशों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ समर्थ का अपने वेबसाइट पर समर्थ की समर्थ समर्थ प्रवेश परीक्षा की ऐतिहासिक प्राथमिक, प्रवेश, शासन-समर्थ, अधिनियम, शर्तों किये जाने वाले शुल्क, अधिनियम शुल्क अन्तर्गत का निर्देशक सम्बंधित प्रवेश होगा।
- ✓ समर्थ को शिक्षण-अधिनियम हेतु कार्यवाही शासन उपलब्ध करने के साथ शर्तों को समर्थ में समर्थ अधिनियम अधिनियम अधिनियम बननी होगी।
- ✓ समर्थ पर अधिनियम को तो कि समर्थ में अधिनियम/शर्तों परिसर को अन्तर्गत जाने हेतु निर्देशक अधिनियम के शर्तों परिसर अन्तर्गत अन्तर्गत अधिनियम, अधिनियम, अधिनियम, अधिनियम इत्यादि का यदि समर्थ द्वारा किसी अन्य अधिनियम के अन्तर्गत में प्रवेश किये जायें हैं और शर्तों को इसकी प्रावधानों शर्तों है कि शर्तों अधिनियम पर प्रवेश किये अन्य शर्तों के लिए शर्तों हैं तो प्रवेश समर्थ की सम्बंधित अधिनियम किये जाने की अनुपालन की जायेगी।
- ✓ सम्बंधित शर्तों का अनुपालन न किये जाने अन्तर्गत शर्तों का अधिनियम किये जाने की स्थिति में निर्देशक अन्तर्गत अधिनियम अधिनियम की जायेगी।

(सा. अधिनियम शर्तों)
समर्थ

सूचना- प्राथमिक/परिषद सम्बंधित/2020/ 1972-3141

तद दिनांक: 15-09-2020

प्राथमिक-शासनादेश/निर्देशक, कक्षा इंस्टीट्यूट ऑफ प्राथमिक एज्यूकेशन, 85 किमी माइल स्टोन, मुन्नाबाद रोड, दिल्ली।

(सा. अधिनियम शर्तों)
समर्थ

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश सरकार

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

संख्या:- दिनांक: 09/08/2021

: कार्यालय ज्ञापन :

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० सरकार से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संघालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० सरकार द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1697-ROOTS INSTITUTE OF PROFESSIONAL EDUCATION, BIJNOR

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमवाली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। परीसा निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमवाली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मैसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असाफल्य रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. म्यागस्तय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मैसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम अरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिम रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुरासा की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

प०स०- प्राशिक्ष/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, ROOTS INSTITUTE OF PROFESSIONAL EDUCATION, BIJNOR



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

कार्यालय.

राज्य. प्राविधिक शिक्षा परिषद.

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या - प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2022/9978

लखनऊ दिनांक: 03/10/2022

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 03/10/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1697-ROOTS INSTITUTE OF PROFESSIONAL EDUCATION, BIJNOR

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022- 23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	40	40

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992: विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्मित शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रू० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रू०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्मित किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों की ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्मित शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्मित विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।

- ✓ यदि संस्थान का ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश तखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय की उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्कात संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के औचक स्थलीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(एफ0आर0 खान)

सचिव

पु0सं0- प्राधिपापरिषद सम्बद्धता/2022/9679-9717

दिनांक: 03/10/2022

प्रतिलिपि-

प्रधानाचार्य/निदेशक, ROOTS INSTITUTE OF PROFESSIONAL EDUCATION, BIJNOR

(एफ0आर0 खान)

सचिव